Attchement-1.5B

प्रस्तावित समरेखन के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखन नहीं है, जिसमें इससे कम पेड़ो का पातन हो। वनभूमि 7.00 मी0 चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, तथा **(Straight Reaches)** में 6.00 मी0 चौड़ाई में मार्ग निर्माण किया जायेगा।

भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखन में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखन में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए जनहित में 7.921 हेक्टेयर वनभूमि को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत

C/S.

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

Attchement-1.5 A

विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत मंच–बकोड़ा मोटर मार्ग (12.00 किमी0)।

लैण्ड शैड्यूल : संलग्न किया गया है।

वांछित भूमि का विवरण (Description of the Land Required):- प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति एस0सी0पी0 (राज्य योजना) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 512 (1)/।।। (2)/09–64 (एम0एल0ए0)/2008 दिनांक 10–02–2009 द्वारा 12.00 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 420 लाख हेतु प्राप्त हुआ है। बकोड़ा ग्राम को जोड़ने हेतु 12.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

उपरोक्त 12.000 किमी0 लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत हैं :–

(a) प्राइवेट भूमि (Private Land) -	145m x 7m = 1015 Sqmt = 1.015 Hectare
(b) आरक्षित वनभूमि (Reserve Forest Land) -	560m x 7m = 3920 Sqmt = 3.92 Hectare
(c) सिविल भूमि (Civil Land) -	195m x 7m = 1365 Sqmt = 1.365 Hectare
(d) वनपंचायत भूमि (Van Panchayat Land) -	3000m x 7m = 2100 Sqmt = 2.100 Hectare

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :–

(1.015+3.92+1.365+2.100) = 8.40 Hectare

विदित हो कि सिमियाउरी ग्राम की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है, तथा लक्षित ग्राम को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यक नहीं है।

प्रभावित पेड़ो का विवरण (Status of Tree felling):- मोटर मार्ग में कुल 453 पेड़ विभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे है, जिसमें मुख्यतः चीड़, बुरांश, बॉज, कुकाट, काफल, देवराद, साल, अयार इत्यादि हैं। इन 453 पेड़ों में से 00–20 व्यास के 116 वृक्ष, 20–30 व्यास के 105 वृक्ष, 30–40 व्यास के 97 पेड़, 40–50 के व्यास के 61 पेड़, 50–60 व्यास के 42 पेड़, 60–70 व्यास के 10 पेड़, 70–80 व्यास के 10 पेड़, 80–90 व्यास के 09 पेड़ तथा 90 से अधिक व्यास का 03 पेड़ आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण (Brief Description of the road):- प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्वानी (आबादी–150) एवं स्यूतोला (आबादी–90), खिटगिड़ी (आबादी–65), बसेड़ी (आबादी–50), बकोड़ा (आबादी–240), मोस्टा (आबादी–200), ग्राम लाभान्वित हो रहे है। इस प्रकार कुल 745 आबादी लाभान्वित हो रही है। यह मार्ग विकास खण्ड, चम्पावत, जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र/वनभूमि एवं प्राईवेट भूमि एवं सिविल भूमि प्रभावित हो रही है। जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य (Necessity of the project and justification for locating the project in forest area):- वर्तमान में बकोड़ा, मंच एवं अन्य तोकों के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुँचाने हेतु लगभग 7.00 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों को उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है।

मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लाभों से वंचित है, तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। ग्रामवासियों अपनी कैश फलसों (Cash crops) यथा सन्तरे, अदरक, आलू, नीबू इत्यादि को रोड हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है, तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता।

मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का समाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होन के साथ–साथ गॉव से नवयुवकों का पलायन रूकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 7.921 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गई है, न्यूनतम है तथा समरेखन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि पेड़ों का न्यूनतम पातन हो। इस